मसूदा (अजमेर)

15/6/17 वकील प्रार्थीयागण उप०। उन्हे सुना गया। उनका निवेदन है कि विवादित आराजी खं० नं. 1594, 1599, 1601 किता 3 रकबा 10-10-10 वाके ग्राम शेरगढ प्रार्थियागण एव अप्रार्थीगण सं. 1, 2 की पुश्तैनी भूमिया थी जो उनके पिता स्व० शिवदयाल पुत्र लालूराम की विरासत से अप्रार्थी सं. 1व2 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके दिनाक 25-05-1995 को अकेल अपने नाम लगवा ली है। स्व. शिवदयाल जी के तीन पुत्र महावीर घनश्याम एव सत्यनारायण थे सत्यनारायण ना औलाद फोत हो गया लडकिया तीन श्रीमति बदाम, मीरा, व सौता है। बदाम फौत हो गई है। अत: विवादित आराजी मे अब वादियागण एव प्रतिवादी सं. 1व2 के नाम लगाई जानी चाहिये जिसके लिए हमने वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमे सफलता मिलने की पूरी आशा है। प्रतिवादी सं. 1व2 के नाम लगने का लाभ उठाकर बेचने पर आमादा है तो फैसला वाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा उन्हे निषेध किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र का निस्तारण मैरिट पर होना है प्रार्थियागण सन् 1995 मे म्यूटेशन होने के बाद अब यह प्रा० पत्र लाई है उन्हे म्यूटेशन के बाद उसके विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी व माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2005 के बाद मृतक की सम्पतियो मे ही पुत्रियो के अधिकार सुनिश्चित किये है अत: प्रा० पत्र प्रार्थियागण स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested